न्यायालय सत्र न्यायाधीश, सहारनपुर ।

पीठासीन अधिकारी–सतेन्द्र कुमार, उच्चतर न्यायिक सेवा।

1. जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 2421 सन 2026

CNR. No.UPSP01010061342026

1. नीरज पुत्र श्यामलाल।
2. गौरव पुत्र राकेश।
निवासीगण–अर्पित विहार, थाना जनकपुरी, जिला सहारनपुर।

.....प्रार्थी/अभियुक्तगण।

बनाम

उ0प्र0 राज्य। **.....विपक्षी।**

2. जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 2472 सन 2026

CNR. No.UPSP010061932026

1. वासु पुत्र राजेश, निवासी शिव मंदिर के पास, शांति नगर, थाना जनकपुरी, जिला सहारनपुर।
2. प्रियांशु पुत्र संजय कुमार, निवासी बेरी बाग, थाना जनकपुरी, जिला सहारनपुर।

.....प्रार्थी/अभियुक्तगण।

बनाम

उ0प्र0 राज्य। **.....विपक्षी।**

मु.अ.सं. 86/2025
धारा 191(2),110,115(2),333,352,
351(3),324 बी0एन0एस0
थाना जनकपुरी, जिला सहारनपुर।

निस्तारण जमानत प्रार्थना–पत्र

08.06.2026

उपरोक्त जमानत प्रार्थनापत्र एक ही मुकदमा अपराध संख्या 86/2026 थाना जनकपुरी, जिला सहारनपुर से सम्बन्धित हैं, जिस कारण उक्त जमानत प्रार्थनापत्रों का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

प्रार्थी/अभियुक्तगण **नीरज, गौरव, वासु एवं प्रियांशु** की ओर से उपरोक्त वर्णित अभियोग में जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए गए हैं। प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण नीरज एवं गौरव दिनांक 29.05.2026 व अभियुक्तगण वासु एवं प्रियांशु दिनांक 03.06.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है।

जमानत प्रार्थनापत्रो के साथ राकेश पुत्र इन्द्रराज एवं कविता पत्नी राजेश के शपथपत्र दाखिल किए गए हैं, जिनके अनुसार प्रार्थी/अभियुक्तगण का यह प्रथम नियमित जमानत प्रार्थनापत्र है। प्रस्तुत प्रकरण के सन्दर्भ में वर्तमान में अभियुक्तगण का अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र किसी न्यायालय में लम्बित नहीं है।

जमानत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के तर्कों को सुना एवं केस डायरी व अन्य प्रपत्रों का अवलोकन किया।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी नरेश कुमार द्वारा थाना हाजा पर इस आशय की तहरीर दी गयी है कि वह गोविन्द विहार का रहने वाला है, जहां उसकी दूध की डेरी है। दिनांक 23.04.2025 की शाम 07:15 बजे वादी बराबर दूध देने के लिए गया था, तभी राजेश व उसकी पत्नी कविता व बिट्टू, राहुल, स्वराज व 25–30 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा लाठी–डंडे व धारदार हथियारो लिए, डेरी के अन्दर घुसकर गाली गलौच करते हुए, डेरी में मौजदू दो नौकर भीम व तसवर के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया, जिससे गम्भीर चोटे आने के कारण दोनो बेहोश होकर गिर गए तथा उपरोक्त विपक्षीगण ने डेरी मे रखा सामान भी क्षतिग्रस्त कर दिया, और भीम व तसवर को बाहर खींच कर सडक पर ले आये तथा भागते समय सुमित को भी जान से मारने की धमकी दी। अतः कानूनी कार्यवाही किए जाने की याचना की गयी।

वादी की उक्त तहरीर के आधार पर थाना पर यह अभियोग अभियुक्तगण के विरूद्ध पंजीकृत कर मामले की विवेचना प्रारम्भ की गयी।

प्रार्थी/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्को को सुना गया।

प्रार्थी/अभियुक्तगण की ओर से मुख्य रूप से यह बहस की गई है कि वे निर्दोष हैं और उन्हें मुकदमा उपरोक्त में झूठा आलिप्त किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। प्रार्थीगण के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं का कोई अपराध नहीं बनता है। प्रार्थीगण प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित नही है। प्रार्थीगण उक्त वाद के चुटैल को नही जानते हैं। प्रार्थीगण दौरान विवेचना धारा 35ए बी0एन0एस0एस0 के नोटिस पर थाने से जमानत पर थे तथा दौरान विवेचना उनके द्वारा विवेचना में पूर्व सहयोग किया गया है। प्रार्थीगण का कोई आपराधिक इतिहास नही है। अतः उन्हें जमानत पर रिहा किया जाये।

राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत का विरोध करते हुए, जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

थाने से प्राप्त केस डायरी का अवलोकन किया। आवेदक/अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्य सहअभियुक्तगण के साथ एक राय होकर वादी की डेरी में घुसकर उसके दोनो नौकर भीम व तसवर के साथ गाली गलौच करते हुए, लाठी–डंडे व धारदार हथियारो से मारपीट कर उन्हें उपहति कारित करने, जान से मारने की धमकी देने तथा वादी की डेरी का सामान क्षतिग्रस्त करने का आक्षेप है। आवेदक/अभियुक्तगण प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित नही है। केस डायरी के अनुसार दौरान विवेचना आवेदक/अभियुक्तगण का नाम प्रकाश में आना दर्शित है। केस डायरी के अनुसार प्रस्तुत मामले में दौरान विवेचना आवेदक/अभियुक्तगण को धारा 35(3) बी0एन0एस0एस0 के प्राविधानो के अनुपालन थाने से जमानत रिहा किया गया था। अवर न्यायालय की पत्रावली के अनुसार आवेदक/अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप–पत्र प्रेषित किए जाने पर उनके विरूद्ध निर्गत समन पर उनके न्यायालय के समक्ष उपस्थित न आने के कारण आवेदक/अभियुक्तगण के विरूद्ध निर्गत गैर जमानती वारन्ट के अनुपालन में आवेदक/अभियुक्तगण नीरज एवं गौरव दिनांक 29.05.2026 व आवेदक/अभियुक्तगण वासु एवं प्रियांशु दिनांक 03.06.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। अभियोजन की ओर से आवेदक/अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अतः मामले के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किए जाने का पर्याप्त आधार है। तद्नुसार जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

आवदेक/अभियुक्तगण **नीरज, गौरव, वासु एवं प्रियांशु** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किए जाते हैं। प्रत्येक अभियुक्त द्वारा अंकन 25,000/–रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं समान राशि का एक विश्वसनीय प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि के दाखिल करने पर उन्हें निम्न शर्तो के अधीन अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करने पर उपरोक्त अभियोग में जमानत पर रिहा किया जाए।

1. उपरोक्त मामले की प्रत्येक सुनवाई पर आवेदक/अभियुक्तगण स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेंगे।
2. आवेदक/अभियुक्तगण, आरोप विरचन के समय तथा बयान अन्तर्गत धारा 351 बी0एन0एस0एस0 के अभिलिखित होने के समय अथवा न्यायालय द्वारा अपेक्षा किए जाने पर न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेंगे।
3. साक्षीगण के उपस्थित आने पर आवेदक/अभियुक्तगण कोई स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत नहीं करेंगे।
4. आवेदक/अभियुक्तगण साक्षीगण को किसी प्रकार से उत्प्रेरित अथवा भयभीत नहीं करेंगे।

उपरोक्त शर्तो के भंग होने पर न्यायालय द्वारा उनके विरूद्ध विधि सम्मत आदेश पारित किया जाए।

इस आदेश की एक–एक प्रति जमानत प्रार्थनापत्र सं0–2472/2026 की पत्रावली पर रखी जाये।

दिनांकः–08.06.2026

(सतेन्द्र कुमार)
सत्र न्यायाधीश, सहारनपुर।
J.O. CODE- UP 1891